भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4038
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

सीपीसीएल द्वारा पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति

†4038. श्री दयानिधि मारन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एन्नोर में तेल रिसाव से हुई पर्यावरणीय क्षति को दूर करने के लिए सरकार और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार सीपीसीएल द्वारा प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्रों, विशेषकर कच्छ वनस्पति और आर्द्रभूमियों का पुनरूद्धार सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड और तंत्र अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सीपीसीएल के पास भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन और प्रशमन ढांचा मौजूद है और यदि हां, तो घटना के बाद के उपायों को सुदृढ़ करने के लिए ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीपीसीएल राज्य सरकार और जनता को समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रदान करने में सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सीपीसीएल ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) और एनजीटी द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त निर्देशों के अनुपालन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और

(च) क्या सीपीसीएल के पास टीएनपीसीबी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करके उजागर की गई सामाजिक-आर्थिक क्षति लागतों का समाधान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च): चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) ने दिसंबर, 2023 में एन्नोर में तेल रिसाव से उत्पन्न हुए पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के प्राधिकरणों , तमिलनाडु वन विभाग और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) के साथ समन्वय में पुनरूद्धार संबंधी गतिविधियाँ शुरू की हैं। टीएनपीसीबी की सलाह पर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा के माध्यम से हर्बल नैनो बायो-डिस्पर्सेंट के उपयोग से कच्छ वनस्पति क्षेत्र में जैव सुधार प्रक्रिया की गई। सीपीसीएल ने राज्य सरकार के प्राधिकरणों को दैनिक अपडेट प्रदान किए। पुनरूद्धार संबंधी गतिविधियों के बाद, एनर्जी एंड रिर्सोसेज इंस्ट्रीयूट ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा किए गए एक व्यापक

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) में निष्कर्ष निकला कि तेल रिसाव के कारण कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, सीपीसीएल के पास तेल रिसाव सहित संबंधित परिदृश्यों का समाधान करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रियाएं और/आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) है जिसे वर्ष 2024 में संशोधित किया गया है।

सीपीसीएल ने तेल रिसाव के संबंध में टीएनपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बकिंघम नहर के हिस्से में इकाई के अपस्ट्रीम से लेकर कारगिल नगर तक उचित अंतराल पर स्थायी बूम प्रदान करना और बकिंघम नहर और कोसस्थलियार नदी की ओर जाने वाले तूफानी जल नहर के उत्तर और दक्षिण द्वारों में भी स्थायी बूम प्रदान करना, तालाबों के आउटलेट पर पीएच, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टीएसएस), टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स (टीडीएस) और ऑयल ग्रीस जैसे प्रदूषक मापदंडों के लिए ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की गई, बकिंघम नहर और एन्नोर क्रीक क्षेत्र में सफाई अभियान, तेल रिसाव वाले क्षेत्र का जैव सुधार प्रक्रिया, परिसर के बाहर जाने वाले तूफानी जल नेटवर्क में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) की संस्थापना शामिल है। सीपीसीएल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का भी अनुपालन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक/सुरक्षित तरीके से तेल युक्त जल का सुधार और स्थानीय मछुआरों की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें चिकित्सा सुविधाएं, दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण प्रदान करना शामिल है।

सीपीसीएल ने मेसर्स वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (डब्ल्यूएपीसीओएस) और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन की सिफारिशों को भी लागू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 3 नए वर्षा जल तालाबों के निर्माण के साथ वर्षा जल संग्रह क्षमता को 60% तक बढ़ाना, वर्षा जल संग्रह तालाबों की ऊंचाई बढ़ाना, बाढ़ के पानी के प्रवेश को रोकने के लिए रैंप/बांध दीवार का निर्माण, छह अतिरिक्त ऑयल केचर्स की संस्थापना, तूफान के पानी के तालाबों के आउटलेट पर ऑनलाइन विश्लेषक प्रदान करना, सीपीसीएल के आउटलेट पर 8 स्थानों पर कंटेनमेंट बूम की संस्थापना और मनाली औद्योगिक संघ के माध्यम से संबंधित राज्य प्राधिकरणों के साथ प्राकृतिक जल मार्गों की गाद हटाना/वनस्पतियां हटाना शामिल हैं।

तमिलनाडु सरकार के राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन आयुक्तालय द्वारा मुआवज़े का आकलन किया गया है और सीपीसीएल को राहत राशि के रूप में 7.53 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसे सीपीसीएल ने दिनांक 19.12.2023 को जमा कर दिया है। टीएनपीसीबी ने इसके बाद सीपीसीएल को सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति के लिए दिनांक 21.11.2024 को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। यह मामला फिलहाल एनजीटी के समक्ष लंबित है।

***